बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक योo4 / एमoपीoलैड्स–38 / 2013 4893 / योoविo दिनांक 21 अक्टूबर, 2014

प्रेषक,

डाo सुरेश स्वप्निल,
उप निदेशक

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त परिपत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन से संबंधित परिपत्र संख्या–फाo सं०सीo–39 / 2013–एमoपीoलैड्स दिनांक 08.09.2014, पत्रांक–फाo सं०सीo–23 / 2011–एमoपीoलैड्स दिनांक 03.09.2014, पत्रांक–फाo सं०सीo–23 / 2013–एमoपीoलैड्स दिनांक 03.09.2014, पत्रांक–फाo सं०सीo–39 / 2013 –एमoपीoलैड्स दिनांक 08.09.2014 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः **यथोक्त।**

21/X/2014
(सुरेश स्वप्निल)
उप निदेशक

ज्ञापांकः योo4 / एमoपीoलैड्स–38 / 2013 4893 / योoविo दिनांक 21 अक्टूबर, 2014
प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/X/2014
उप निदेशक

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

डी. साई बाबा
निदेशक
D. Sai Baba
Director
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

फा.सं.सी-39/2013-एमपीलैड्स

Dated 08.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं के संबंध में माननीय सांसदों का अंशदान ।

महोदय,

एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में यह उल्लेख किया था कि जब सांसदों की वार्षिक आवंटन राशि 2 करोड़ रुपए थी उस समय अप्रभावित क्षेत्रों से प्रभावित जिलों के लिए सांसदों के योगदान हेतु 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तय की गई थी, अब सांसदों के वार्षिक आवंटन राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिए जाने पर उन्होंने इस सीमा को यथानुपात आधार पर बढ़ाने की सिफारिश की है ।

2. तदनुसार, प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के मामले में एमपीलैड्स निधियों के आवंटन के लिए वार्षिक सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.7 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

3. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

"2.7 "**प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाएं**: बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना एवं कीट-हमला, भूस्खलन, तूफान, अनावृष्टि, आग लगना, रासायनिक, जैविक एवं रेडियोलॉजिकल खतरों जैसी आपदाओं की संभावना वाले अथवा उनसे प्रभावित क्षेत्रों में भी एमपीलैड्स कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है । उक्त राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद, उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 25 लाख रु. प्रति वर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं । संबंधित सांसद की निधियां नोडल जिले द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी । प्रभावित क्षेत्र के जिला प्राधिकारी द्वारा एमपीलैड्स निधियों को

(146)

दिशानिर्देशों में अनुमेय कार्यों के लिए एकत्र किया जा सकता है । नोडल जिले से प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को इस प्रकार हस्तांतरित की गई राशि, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में पुनर्वास कार्य के लिए प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को हस्तांतरित की गई राशि के रूप में दर्शायी जा सकती है । ऐसे कार्यों के लिए कार्य समापन रिपोर्ट, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र और निधियां प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा समग्र समाधान के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी । एमपीलैड्स निधि की उत्तरवर्ती किस्त को जारी करते समय इस संबंध में नोडल जिला प्राधिकारी से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में अलग से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/समापन रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी ।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

डी. साई बाबा
निदेशक
D. Sai Baba
Director
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

फा.सं.सी-23/2011-एमपीलैड्स

Dated 03.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः वर्षा-जल संचयन प्रणाली की संस्थापना ।

महोदय,

मंत्रालय को संसद सदस्यों से एमपीलैड्स के अंतर्गत वर्षा-जल संचयन प्रणालियों की अनुमति देने का सुझावं प्राप्त हुआ है ।

2. एमपीलैड्स मुख्य रूप से स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अभिप्रेत है । व्यक्तिगत लाभों/परिसंपत्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है । एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत वर्षा-जल संचयन प्रणालियों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है । दिशानिर्देशों के अनुबंध IV ई में, जिसके अंतर्गत निदर्शी कार्यों के क्षेत्र-वार नमूने का उल्लेख किया गया है, 'जन भू-जल रिचार्जिंग सुविधाएं' 'सिंचाई सुविधाओं' में शामिल हैं; यह सिंचाई के लिए भू-जल में वृद्धि करने संबंधी सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमों से संबंधित है । इसके अलावा, वर्षा-जल संचयन उद्यान-डेमो परियोजनाएं 'शहरी विकास से संबंधित कार्यों' में शामिल की गई हैं । सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा-जल संचयन प्रणालियों की संस्थापना करना दिशानिर्देशों में शामिल नहीं है ।

3. सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों पर (जल-संग्रह तथा भू-जल रिचार्जिंग दोनों के लिए) वर्षा-जल संचयन प्रणालियों की अनुमति देने के प्रयोजनार्थ एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में पैरा 3.43 को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो इस प्रकार है:

> "**3.43 वर्षा-जल संचयन प्रणालियों की संस्थापना:** सरकारी भवनों तथा केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, सामुदायिक भवनों, जल-निकायों, इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा-जल संचयन प्रणालियों (जल संग्रह तथा भू-जल रिचार्जिंग दोनों के लिए) की संस्थापना करना एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमत्य होगा ।"

(144)

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

(143)

डी. साई बाबा
निदेशक
D. Sai Baba
Director
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

फा.सं.सी-23/2011-एमपीलैड्स

Dated 03.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः सांसद के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से बाहर के किसी क्षेत्र के लिए एमपीलैड्स निधियों का अंशदान ।

महोदय,

मंत्रालय को सांसद के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से बाहर के किसी क्षेत्र के लिए एमपीलैड्स निधियों के अंशदान को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाने के लिए सांसदों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

2. 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा जून 2011 में उस समय निर्धारित की गई थी जब सांसदों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की पात्रता थी । चूंकि वार्षिक पात्रता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए कर दी गई है । तदनुसार, सांसद के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से बाहर के किसी क्षेत्र के लिए एमपीलैड्स निधियों के अंशदान की वार्षिक सीमा 25 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.9 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

3. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों का पैरा 2.9 नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जाता है:

"2.9 **सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर स्थित किसी क्षेत्र को एमपीलैड्स निधियों का अंशदान:** "यदि कोई निर्वाचित सांसद यह महसूस करता है कि उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर अथवा राज्य के भीतर उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी क्षेत्र को, अथवा दोनों ही मामलों में, एमपीलैड्स निधियों से अंशदान दिए जाने की आवश्यकता है, तो उक्त सांसद इन दिशानिर्देशों के तहत एक वित्त वर्ष में अधिकतम 25 लाख रुपए तक के पात्र कार्यों की अनुशंसा कर सकता है । किसी सांसद की ओर से की गई ऐसी कार्रवाई से जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य एवं भ्रातृत्व की भावना को

(142)

प्रोत्साहन मिलेगा । ऐसे मामलों में, नोडल जिला प्राधिकारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत उसे प्रदान किए गए समन्वयन एवं अन्य कार्यकलापों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा । कार्यान्वयन करने वाले जिला प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों से संबंधित कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे निधियां प्राप्त हुई हैं ।"

"**2.9.1** बशर्ते कि निर्वाचन क्षेत्र/राज्य से बाहर के क्षेत्र हेतु अंशदान न्यासों/सोसाइटियों तथा सहकारी समितियों के लिए अनुमत्य न हो ।"

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

(141)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

डी. साई बाबा
निदेशक
D. Sai Baba
Director
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

फा.सं.सी-39/2013-एमपीलैड्स

Dated 08.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: 'गम्भीर स्वरूप की आपदाओं' के मामलों में माननीय सांसदों का अंशदान ।

महोदय,

एमपीलैड्स से सम्बंधित लोक सभा समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में यह उल्लेख किया था कि जब सांसदों का वार्षिक आबंटन 2 करोड़ रुपए था तब 'गम्भीर स्वरूप की आपदाओं' के मामलों में सांसदों से 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष के अंशदान की सीमा निर्धारित थी । वार्षिक आबंटन 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिए जाने पर उन्होंने इस सीमा को भी यथानुपात आधार पर बढाने की अनुशंसा की है ।

2. इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया गया है और 'गम्भीर स्वरूप की आपदाओं' की स्थिति में एमपीलैड्स निधि से अंशदान की वार्षिक सीमा 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों के पैरा 2.8 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

3. एमपीलैड्स के दिशनिर्देशों के पैरा 2.8 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

"**2.8** देश के किसी भाग में "गंभीर प्रकृति की आपदा" की स्थिति में, सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है । यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि आपदा गंभीर प्रकृति की है अथवा नहीं । इस संबंध में अनुमेय कार्यों को करवाने के लिए निधियां संबंधित सांसद के नोडल जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी । नोडल जिले से प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को इस प्रकार हस्तांतरित की गई राशि, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में पुनर्वास कार्य के लिए प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को हस्तांतरित की गई राशि के रूप में दर्शायी जा सकती है । ऐसे कार्यों के लिए कार्य समापन रिपोर्ट,

(148)

लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र और निधियां प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा समग्र समाधान के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी । एमपीलैड्स निधि की उत्तरवर्ती किस्त को जारी करते समय इस संबंध में नोडल जिला प्राधिकारी से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में अलग से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/ समापन रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी ।"

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

8/9/14.

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभां सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।